न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—274/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/274)

1. जसराज सैन पुत्र नारायण, जाति नाई, निवासी पीसांगन, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. ईस्माइल शाह पुत्र गबरू, जाति सांई मुसलमान, निवासी नई कॉलोनी, पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
2. मुन्नालाल कुमावत पुत्र पांचू, जाति कुमावत, निवासी आदर्श कॉलोनी पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2025 राजस्व वाद संख्या 39/2024.

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवचरण शर्मा व लक्ष्मणनाथ योगी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 3

निर्णय

दिनांकः—04.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादी/अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा प्रकरण में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा कहे गए कथनों से इंकार किया गया। प्रकरण में सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2025 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष पत्रावली वास्ते जवाब अपीलांट व सरकार दिनांक 5.5.2025 नियत थी एवं दिनांक 5.5.2025 को अपीलांट ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया, सरकार द्वारा उक्त दिनांक को जवाब प्रस्तुत नहीं किया ना ही सरकार का जवाब बन्द किया जिससे पत्रावली वास्ते निर्णय पूर्ण व परिपक्व नहीं थी इसके बावजूद भी विधिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपूर्ण पत्रावली में गलत एवं अविधिक रूप से वाद पत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने अपीलांट के जवाब दावे को बिना पढे बिना कोई विवेचन व विश्लेषण किये मात्र वादी के निवेदन पर चार लाईन में वाद पत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी करने का निर्णय पारित किया है जो आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत होकर नॉन स्पीकिंग आदेश होने से प्रथम दृष्टया काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि अपीलांट ने वाद के वाद पत्र के कथनों को इन्कार करते हुए वाद पत्र को निरस्त करने का जवाब प्रस्तुत किया था जिससे विधिक प्रक्रिया अनुसार वाद पत्र व जवाब दावे के अनुसार प्रकरण में विवाद के मुख्य बिन्दुओं पर तनकीयात कायम किया जाना न्यायालय का कर्तव्य था तथा बाद तनकीयात दोनों पक्षों की शहादत लेकर तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने उक्त विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया की बिना पालना किये प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 5.5.2025 को पारित की है जो विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने वादी के वाद पत्र व जवाब दावे को बिना पढे सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री पारित की है वादी ने अपने वाद पत्र में भौतिक स्वरूप की पालना करवाये जाने की डिक्री चाही है जिससे स्पष्ट था कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं था तथा जवाब दावे में भी उक्त बाबत स्पष्ट अंकित था कि बिना कब्जे की प्रार्थना के वाद पत्र चलने योग्य नहीं है इसके बावजूद भी बिना तनकीयात कायम किये एवं बिना साक्ष्य लिए निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। दिनांक 5.5.2025 को पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी। अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था, पत्रावली वास्ते बहस नियत नहीं थी अपीलांट के पीठ पीछे वादी के निवेदन पर अपीलांट को बिना सुने प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2022 आर0बी0जे0 554 प्रस्तुत किया है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि अपील की चरण संख्या 1 मे अंकित कथन अस्वीकार होकर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2025 को जारी प्राथमिक डिक्री न्याय, नियम व कानूनी प्रावधानों एवं विभाजन के रूल्स (राजस्व मंडल के नियम 18 से 21) अनुसार सिद्वान्तों का ध्यान में रखते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई जो न्याय, नियम, एवं सिद्धान्तों के अनुरूप होने से अपीलान्ट की अपील खारीज फरमाई जावे। अपील की चरण संख्या 2 में अंकित कथन अस्वीकार होकर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय जारी प्राथमिक निर्णय डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्वन्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत तामिल होने के पश्चात उनके जवाब रेकार्ड पर प्रस्तुत होने

के पश्चात निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई चुकि उक्त प्रकरण 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत था जिसमें सरकार फोर्मल पार्टी के रूप मे संयोजित किया गया, सरकार फोर्मल पार्टी होने एवं सरकार का कोई राजहित प्रभावित नहीं होने से जवाब बन्द करते हुए प्राथमिक डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्वन्तों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई। इस प्रकार अपीलांट की अपील बिना किसी तर्क पर आधारित होने से प्रस्तुत होने से अपील पोषणीय नहीं है। अपील की चरण संख्या 3 में अंकित कथन अस्वीकार होकर निवेदन है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी केवल एक ही चक खसरा 2902 रकबा 0.92 हैक्टर भूमि है, जिस कारण सहखातेदारों में कोई विवाद उत्पन्न नहीं केवल एक खेत की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार को अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी बंटवारा करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसमें राजस्व रूल्स नियम 18 से 21 की पालना को सुनिश्चित करवाने के निर्देशानुसार आदेश पारित किये इस प्रकार उक्त प्राथमिक डिक्री में बटवारे के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना करवाते हुए ही प्राथमिक डिक्री जारी की गई अगर कोई विवाद हो तो कुर्रेजात रिर्पोट तलब होने के बाद अंन्तिम डिक्री की सुनवाई में तय किये जा सकते है, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। अपील की चरण संख्या 4 में अंकित कथन अस्वीकार होकर निवेदन है कि प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या के अपने जवाब दावे में बंटवारे हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के जबाव में स्वयं का हिस्सा 1/2 होना दर्शाया और राजस्व रेकार्ड में भी यही अंकित है तथा विवादित आराजी खसरा 2902 रकबा 0.92 हैक्टर एक ही चक भूमि है उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 अपने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, प्रतिवादी संख्या 2 अपनी स्वेच्छा से किसी भी तरफ से अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी भूमि बंटवारे में लेने का अधिकारी है, उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने पारदर्शीता से विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए प्राथमिक डिक्री आदेश जारी किये इस प्रकार अपीलांट की अपील विधिसम्मत नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। अपील की चरण संख्या 5 में अंकित कथन अस्वीकार होकर निवेदन है कि अपीलान्ट का कथन वाद पत्र में भौतिक स्वरूप की पालना करवाये जाने की डिक्री चाही हो अस्वीकार होकर निवेदन है कि वादी ने अपने वाद पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा होने के पश्चात वादी को प्राप्त बंटवारे की भूमि के भौतिक स्वरूप की पालना करवाने हेतु की डिक्री चाही गई है वादी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है जो प्राप्त प्रतिवादी जवाब दावा से ही स्पष्ट है। इस प्रकार अपीलांट की अपील मिथ्या कथनों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावे। अपील की चरण संख्या 6 में अंकित कथन अस्वीकार होकर निवेदन है कि प्रतिवादी अपने जवाब के साथ निवेदन किया कि मेरा जवाब दावा ही मेरी बहस है तत्पश्चात न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश प्रदान किय जो न्याय, नियम एवं सिद्धन्तों के अनुरूप होने से अपीलांट की अपील बनावटी होने से खारीज फरमाई जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 05.05.2025 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता संख्या 936 के खसरा नम्बर 2902 रकबा 0.9200है0 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई

मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाकर अलग खाता कायम कर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद दिनांक 10.06.2024 को वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 03.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 05.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 2/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना जवाब दावे का अवलोकन किए उसी दिनांक 05.05.2025 को प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं किया गया कि पत्रावली वास्ते जवाब अपीलांट व सरकार दिनांक 05.05.2025 को नियत थी व अपीलांट द्वारा दिनांक 05.05.2025 को प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था परंतु सरकार द्वारा उस दिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरकार का जवाब बंद किया गया। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित कथनों का खण्डन कर वादपत्र निरस्त किए जाने का कथन किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन कर वाद में मुख्य बिंदुओं पर तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों से तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए प्रकरण में त्रुटिपूर्ण निर्णय व डिक्री पारित किया गया है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2011(2)आरआरटी 763

Passing of judgment issuewise is mandatory u/order 20 rule 5 c.p.c.

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाबदावे को पढे व उसका विश्लेषण किए प्रकरण में नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया है, जो कि आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे का गहनता से अवलोकन कर उस आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयात पर उभयपक्षों से साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णयों में अनियमितता पाई गई है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उनके समक्ष विचाराधीन वाद में जवाबदावा प्रस्तुत होने के उपरांत वाद का निस्तारण तनकीयात कायम कर उस

पर साक्ष्य ग्रहण किए जाने के पश्चात ही प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.04.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर